संख्या-01/2019/778/38-6-19-8(एसआरएलएम)/2018

प्रेषक,

टी0के0 शिबु,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊः दिनांक- 22 जनवरी, 2019**

विषयः- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-81 के अन्तर्गत अनुपूरक बजट से अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्र सं0-1932/एनआरएलएम/बजट टीसी/2018-19, दि0-17.09.2018 एवं पत्र सं0-4029/आजीविका/लेखा-टीसी 1096/2018-19, दि0-19.12.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा अपने पत्र सं0-जे-12036/01/2017-आरएल (एनआरएलएम 23सी), दि0-26.04.2017 एवं पत्र सं0-जे0-12036/01/2017-आरएल(एनआरएलएम 48सी), दि0-26.12.2017 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में पत्र सं0-जे0-12036/01/ 2018-आरएल(एनआरएलएम 1सी), दि0-18.04.2018 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0-8911.78 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-20/2018/554/38-6-18-8(एसआरएलएम)/2018, दि0-29.09.2018 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा अवमुक्त उक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0-8911.78 लाख(केन्द्रांश 60 प्रतिशत) के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0-5941.18333 लाख(राज्यांश 40 प्रतिशत) बनती है, जिसे अवमुक्त किया जाना है। उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-81 के अन्तर्गत रू0-25203.84 लाख अनुपूरक बजट की व्यवस्था की गई है। योजनान्तर्गत 60 प्रतिशत केंद्रांश एवं उसके सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश (के.60+रा.40) की व्यवस्था है।

2- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा की गई अनुपूरक बजट व्यवस्था में उपलब्ध धनराशि में से अवमुक्त केन्द्रांश रू0-8911.78 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0-5941.18333 लाख को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) आंकडों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है।

(2) धनराशि का व्यय योजना विषयक गाइडलाइन/दिशानिर्देश तथा राज्य सरकार के सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

(4) योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जाएगा।

(5) स्वीक़त की जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दि0-30 मार्च, 2018 एवं संबंधित अन्य संगत शासनादेशों की शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-81 के लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-796-जनजातिय उपक्षेत्र योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-(के.60/रा.40-के.+रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय सं0-यू0ओ0-ई-2-59/दस-2019, दि0-22-01-2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

टी0के0 शिबु
विशेष सचिव।

संख्या-01/2019/778(1)/38-6-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in